

8) भारत में नागरिकता किस प्रकार राष्ट्र-निर्माण के साधन के रूप में कार्य करती है, इसका परीक्षण कीजिए। यह विभिन्न राष्ट्रों की पूर्ण और समान भागीदारी सुनिश्चित करने में क्यों विफल रही है? संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और हालिया विचारों के साथ चर्चा कीजिए।

नागरिकता, न केवल राज्य और व्यक्ति के बीच अंतर्संबंधों को हवाती है बल्कि, राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि बदलती परिस्थितियों में नागरिकता की मूल भावना, पूर्ण और समान भागीदारी, बदलती हुई दिखती है।

तात्कालिक परिस्थितियों के


अनुकूल, संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5-11 (भाग-2) में दिया गया। साथ ही अनुच्छेद-11 में संघद और नागरिकता संबंधी विषय बनाने की शक्ति प्रदान की गई। नागरिकता अधिनियम-1955 से लेकर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 तक नागरिकता की प्रकृति समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है।

इस बदलती प्रकृति के बावजूद,

नागरिकता अपने मूल प्रकृति, पूर्ण और समान भागीदारी के आधार से बनाए रखा है। इन आदर्शों के राष्ट्र निर्माण में निम्नलिखित रूप से योगदान दिया है-

(i) नागरिकता प्रदान करने शक्ति, मन्त्रों की सलाह से ही गई हो, लेकिन यह अन्तिम और राज्य के बीच सहमति का परिणाम है। यह सहमति दोनों के अपने अपने अधिकार एवं उत्तरदायित्वों के दायरे में है।

(ii) नागरिकता अपने स्वरूप में समावेशी है। यह नागरिकों के लिए सुनिश्चित करती है —



(iii) नागरिक अधिकारों में, समानता का अधिकार (अनुच्छेद-14) अधिकारों की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-19) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-21) इत्यादि शामिल हैं।

(iv) राजनीतिक अधिकारों में —

- चुनाव में मतदान का अधिकार
- सार्वजनिक सेवाओं हेतु चुनाव लड़ने का अधिकार
- सरकार से अपनी शिकायतों को दर्ज करने का अधिकार, इत्यादि शामिल हैं।

(v) आर्थिक अधिकारों में —

- काम और आजीविका की स्वतंत्रता
- संपत्ति का स्वामित्व
- सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हिस्सा लेने का अधिकार, इत्यादि शामिल हैं।

(vi) नागरिकता, नागरिकों को दिए गए विशेषाधिकारों के अभाव में सुरक्षा भी निर्धारित होती है। जो निम्नलिखित हैं -


- संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना।
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
- सार्वभौमता और भाषाई की भाषना को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना।
- वैधानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, इत्यादि।

(vii) नागरिकता न केवल नागरिकों को अधिकार देता है बल्कि दायरों को भी बाध्य करता है कि नागरिक अधिकारों का हनन न करे।

इस प्रकार नागरिकता विशेषाधिकार प्राप्त राज्य शक्ति तथा समावेशी नागरिक अधिकारों के रूप में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है।

पूर्ण और समान भागीदारी सुनिश्चित करने के विधायक


अपने समावेशी प्रकृति के बावजूद नागरिकता पूर्ण और समान भागीदारी सुनिश्चित करने के असफल रहा है जिसके निम्नलिखित कारण हैं -



① क्षेत्रीय अन्तर्भाव :- दूरसज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा की उमी के कारण नागरिक अधिकारों की पहुँच सीमित हो जाती है। इसका उदाहरण हम पूर्वोक्त राज्यों में देख सकते हैं।

(ii) आर्थिक असमानता :- गरीबी के दुष्परिणामों से सड़क स्वास्थ्य, शिक्षा, शान्ति सुरक्षा संरक्षण सहित मौलिक अधिकार सीमित हो जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल 'नागरिक' संपूर्ण और समान नागरीक सुनिश्चित नहीं हो पाती है।

(iii) सामाजिक भेदभाव :- जातिवादी और पिछड़ा वर्ग समाज में जाति, धर्म, लिंग और जातीयता के आधार पर भेदभाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कारण कुछ वर्ग बहुआयामी रूप से पिछड़े जाते हैं।



निष्कर्ष: 'नागरिकता' का वास्तविक निर्माण के साधन के रूप में कार्य करती नहीं है। इसके 'सूक्ष्म उपद्रव' हैं उसे पूरा करने हेतु. हम तब के अनुसार, संतुलित और अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

82) भारत में सांस्कृतिक विविधता और प्रचुर राज्यो की
 तुलना में हमें की अधिक मजबूत संस्कृतिक इकाई
 बनानी है, इसका समन्वितवात्मक विश्लेषण कीजिए।
द्वितीय कथना और (विधायकता के घाटे) में नए राज्यों
 के जन्म में इस प्रश्न की भूमिका निर्धारित है? इस
 संदर्भ में द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की प्राप्ति पर
 पर चर्चा कीजिए।

उ. भारत सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। यह विविधता
 धार्मिक है साथ-साथ भाषाई, जातीय (स्थानिक) और
 भौगोलिक कारकों से प्रेरित है।

भारत में राज्यों का निर्माण
 प्रारंभ में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार
 पर, भाषा के आधार पर, फिर प्रशासनिक
 सक्षमता के आधार पर तथा आगे चलकर
 स्थानिक आधार पर किया गया है, इससे
 उदाहरण के तौर पर: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा
 झारखंड हैं।

संसाधन माना गया कि भाषाई तथा
 स्थानिक आधार पर निर्मित राज्य एक प्रामाणिक
 इकाई के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन नए राज्यों
 की भाषा और आर्थिक संदर्भ की देखते हुए
 राज्य की 'एक' सांस्कृतिक इकाई के रूप
 में मानना अधिक नहीं होगा क्योंकि-

(i) भाषाई आधार पर गठित राज्य के अन्तर्गत भी अन्य प्रकार की सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है जैसे धार्मिक, यथार्थ, जातीय (कमल), उपभाषाई सांस्कृतिक विविधता आदि।

(ii) भौतिक आधार पर गठित राज्यों में भी क्षेत्रीय आधार पर सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। जैसे काश्मीर आदिवासी राज्य के रूप में गठित किया गया था लेकिन इसमें भी विभिन्न आदिवासी भूखण्डों के बीच विविधता पाई जाती है।

(iii) प्रासासनिक आधार पर गठित राज्य, जैसे उत्तीरागढ़, के भी भी सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। जैसे उत्तीरागढ़ का क्षेत्र क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से सांस्कृतिक रूप में भिन्न है।

(iv) अन्तरराज्यीय विविधता :- भारत में 28 राज्य के भीतर सांस्कृतिक विविधता के अलावा पड़ोसी राज्यों में क्षेत्रीय सांस्कृतिक समानता भी पाई जाती है। जैसे पश्चिमी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक समानता पाई जाती है।

उपरोक्त तरीकों के आधार पर ~~यही~~ ^{प्रतीत होता} है कि राज्यों की तुलना में 'क्षेत्र' अधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक

कनात हैं। लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है।
स्पष्ट -

(i) राज्यों के निर्माण के बाद लोगों की चेतना में 'संकल्पित राज्यवादी' की पहचान विकसित होने लगती है। जैसे, छत्तीसगढ़ में दियत सभी संस्कृति के लोगों का उद्घोष होता है - छत्तीसगढ़िया सबले कहिया।

(ii) एक भाषा वाले राज्य में भाषाई-सांस्कृतिक पहचान जागृत होती है। जैसे बंगाली हिन्दा का विकास।

~~अपेक्षित~~ निष्कर्ष: भारत में सांस्कृतिक विविधता राज्य की सांस्कृतिक इकाई के साथ-साथ क्षेत्रीय सांस्कृतिक इकाई को भी बढ़ावा देती है और दोनों का सौहार्दपूर्ण हित है।

क्षेत्रीय चेतना, विद्यालयों द्वारा और नए राज्य की मांग

भाषाई, प्रशासनिक आधार पर राज्यों के निर्माण के बाद एक समस्या उत्पन्न हुई यह थी क्षेत्रीय चेतना। क्षेत्रीय चेतना विद्यालयों द्वारा का परिणाम है। इसका तात्पर्य है कि एक राज्य के भीतर विकास की अलग-अलग दिशाएँ। उदाहरण के लिए,

परना जिला की प्रतिलिपि आय 1,31,000 रु है
जबकि शिवहर की प्रतिलिपि आय लगभग 20,000 रु
है। निरास और आय की यह असमानता बिहार
सहित कई राज्यों में विद्यमान है।

यह असमानता क्षेत्रीय वंचना
का कारण बनता है। जिससे नए राज्यों की
मांग शुरू हुई, जिनसे हम निम्नलिखित रूपों
में देख सकते हैं—

(i) क्षेत्रीय वंचना के आधार पर राज्य निर्माण
की ~~की~~ शुरुआत मुख्यतः 2000 ई. में हुई।

(ii) इनमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड
शामिल हैं।

(iii) इन राज्यों में पूर्ववर्ती राज्यों की
भौगोलिक स्थिति नए अन्य राज्यों के
क्षेत्रीय वंचना रूप विस्फोटक घाटे का
साधन बनता पड़ा था।

(iv) उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश से विभाजन
के बाद छत्तीसगढ़ ~~विभाजन~~ के कई
मानकों पर मध्य प्रदेश से अच्छा प्रदर्शन
कर रहा है। तेलंगाना भी ऐसा प्रदर्शन कर रहा है।

इस प्रकार, क्षेत्रीय वंचना
नए विस्फोटक घाटे में नए राज्यों
की मांग को बढ़ाया है। वर्तमान में

भी बने होंगे ये नए राज्यों की मांग
 उठ रही हैं। जैसे बिहार में प्रियंका राज्य की
 मांग, महाराष्ट्र में सिद्ध राज्य की मांग इत्यादि।

द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की प्राप्ति

जित नए नए राज्यों की मांग उठे
 हैसती इस प्रश्न उठता है कि क्या द्वितीय
 राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता है?

इसके जवाब हेतु पक्ष
 और विपक्ष देखने की आवश्यकता है।

पक्ष → विदेशीय शासन
 → प्रशासनिक दृष्टांत का विचार
 → राजनीतिक अयोग्यता
 → आर्थिक सुधार देना
 → सांस्कृतिक संरक्षण एवं क्षेत्रीय तनाव को दबाना

विपक्ष → आर्थिक असंतुलन
 → प्रशासनिक दृष्टि में त्रुटि
 → सामाजिक विकास का बढ़ना
 → राजनीतिक विकास की समस्या
 प्रधान आजादी राजनीति का विचार

पक्ष और विपक्ष को देखते हुए यह
 निष्कर्ष निकलता है कि हमें ~~द्वितीय~~ राज्य पुनर्गठन
 आयोग की आवश्यकता है जेडिन कल


वात का ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्रीय
व्यवहारिता से साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर
व अखंडता अक्षुण्ण रहे। साथ ही यह देश में
विश्वास और सामंजस्य बर्ताने की कवाचा है।

1) डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारत में विरोधवाहों के जीवन का हवा उदर के लिए, (स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व) की विमूर्ति की उत्पत्ती की। सामाजिक असमानता राजनीतिक धुकी-झुग और धार्मिक विषयता जैसी चुनौतियों के समाधान के इस दृष्टि की प्रादोषिता का समाधान के रूप में विस्तारित की गयी।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक आदर्शों के विमूर्ति की परिउत्पत्ती की, जो हैं - स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों संयुक्त रूप से नाथ का रूप लेती हैं जो प्रस्तावना में भी वर्णित हैं।

भारत में सामाजिक असमानता, राजनीतिक धुकी-झुग और धार्मिक विषयता विद्यमान हैं। जो निम्नलिखित हैं -

① सामाजिक असमानता :- सामाजिक असमानता के लिंगित असमानता, धार्मिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता, जातीय असमानता आदि शामिल हैं। प्रायः पिछड़ों में भी सबसे पिछड़ा मुसलमान आधीन क्षेत्र की दलित/आदिवासी महिला होती हैं।



(ii) राजनीतिक धुकी-झुग :- लोकसभा में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो राजनीतिक

हलो द्वारा राजनीति धुवीरुग का अनुसरण
प्रणालि सिद्धा जाता है। यह धुवीरुग सिद्धा.
स्वास्थ्य, विकास और मुहो से नज्वाअंज
नर जालीय, धार्मिक और हौरीय आधार से
बढ़ावा देता है।

(ii) आर्थिक विषयता :- भारत में आर्थिक विषयता
उई इलोई फर विद्यमान है। शहरी-शांरीग,
करी-पुरुष, अगडा-पिछडा इत्यादि।

इन पुनरीतिथी के प्रयाधान
में डा. भीपराव अक्बरी की विमूर्ति से
परिउल्पना निम्नलिखित रूप में प्रासंगिक है-

(क) स्वतंत्रता :- व्यक्तिगत स्वतंत्रता से मानव
जीवन तथा उससे सुवर्गीय विकास हेतु
प्रहल्वपूर्ण माना गया है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सुनिश्चित
हउने हेतु संविधान के भाग-3 (अनुच्छेद-12-35)
तक मौलिक अधिकार का प्राप्धान सिद्धा
गया है।

अनुच्छेद-13 और 32 तथा 226 द्वारा
यह सुनिश्चित सिद्धा गया है कि मौलिक
अधिकार का हान न हो सके।

(२१) समानता :- समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को समान अवसर और अवकाश प्रदान करना, यहाँ उसी को समझिए, आर्थिक या सौंसेबनीक पक्ष यदि कुछ भी है।

समानता सामाजिक - भाष २-
सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद १५-१८ के समता का अधिनियम प्रदान किया गया है जिसके -

- अनुच्छेद १५ - विधि के समान समता

- अनु० - १५ - धर्म, मूलका, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध

- अनु० - १६ - लोक नियोजन के अवकाश की समानता

- अनु० - १७ - अस्पृश्यता का अंत

- अनु० - १८ - उपाधियों का अंत।

(२२) वंचित्व :- वंचित्व का उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों के हक और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना।

मौलिक हितों के अंतर्गत होने के कारण शार्दिल स्थिति में जो वंचित्व की भावना का विकास करे।

स्वतंत्रता, समानता और वंचित्व की यह त्रिमूर्ति संयुक्त रूप से न्याय का रूप लेती है। अतः ही विरुद्ध के यह प्रतिपक्ष होता है कि लोगों

-पाप (द्वन्द्वता, सापानता, बंधुत्व) दिल दहा हैं।
लेकिन क्या वादना में ऐसा है? .

निम्नलिखित कारक - पाप
पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं -

- (क) संविधान लागू होने से 75 वर्ष बाद भी
सापानित असमानता विद्यमान है। दुष्साहस-
भेदभाव समाप्त होने में कितना देर है।
(ख) आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है।
देश के शीर्ष 1% लोगों के पास 58%
संपत्ति है।

1991 से उद्योगिक क्षेत्र के बंद आर्थिक
विषयता तेजी से बढ़ी है।

- (ग) सोशल डिस्टेंस के अभाव में राजनीति में धुंधलापन
तेजी से बढ़ा है।

उपरोक्त कारणों से सापानता, बंधुत्व की भावना से डिवाइडेशन
में अक्षरोध उत्पन्न होता है। लेकिन
यह नहीं उठा जा सकता है कि
परिउत्पन्न विकल रहे।

निष्कर्ष: कुछ सीमाओं से बाहर
विमूर्ति की परिउत्पन्न अपने समय में बड़े चुनौतियों
से सामना में लक्ष्य रही। इसे और प्रभावी
रूप से डिवाइडेशन करने की आवश्यकता है।